

पत्रांक: जी. एस. टी./ 2022-23/फाइल सं0-509/

68

/राज्य कर

कार्यालय -कमिश्नर, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(जी. एस. टी . अनुभाग)


लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करती हैं।

2- यह अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2022 से लागू मानी जायेगी।

आज्ञा से,



(मिनिस्त्री एस.)

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।